मध्यप्रदेश विधान सभा

पत्रक भाग-दो

सोमवार, दिनांक 12 जून, 2017 (ज्येष्ठ 22, 1939)

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 145-बासौदा से निर्वाचित सदस्य, श्री निशंक कुमार जैन को बंदी एवं रिहा किये जाने की सूचना.

उप पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल शहर, रेंज भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर से माननीय अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा को संबोधित पत्र दिनांक 08.06.2017, जो इस सचिवालय में दिनांक 12.06.2017 को प्राप्त हुआ है, इस प्रकार है :-

‘‘मुझे आपको यह सूचना देनी है कि अपराध क्रमांक 112/17 धारा 151 जा.फौ.एवं इस्तगासा क्रमांक 159/17 धारा 107, 116 (3) जा.फौ. के अंतर्गत अपनी शक्तियों के प्रयोग में मैंने यह निदेश देना अपना कर्तव्य समझा है कि मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य, श्री निशंक कुमार जैन को (यथास्थिति, बंदीकरण या निरोध के कारण) बंदी/निरुद्ध कर लिया जाये.

तद्नुसार मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य, श्री निशंक कुमार जैन को दिनांक 08.06.2017 को शाम 14.45 बजे बंदी कर लिया गया है और उन्हें उसी दिन 15.45 बजे विमुक्त कर दिया गया है. ’’

ए.पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.